आपके स्कूल - कॉलेज और संस्थानों में ट्रांस और क्वीर बच्चों/लोगों की सुरक्षा के लिए कानून

हिमाचल क्वीर फाउंडेशन

himachalqueerfoundation@gmail.com
7876035327, 9836636525

द ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019

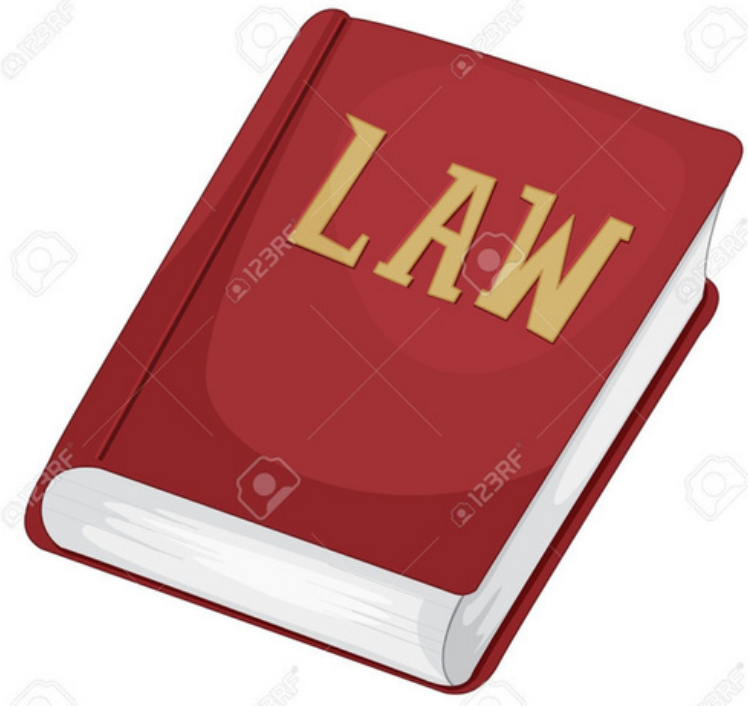

- धारा 3 (ए) शैक्षिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति / व्यक्तियों को इनकार या उनके साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार पर रोक लगाती है।

- धारा 13 संस्थानों की भूमिका है कि वे सुरक्षित वातावरण में ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षित करें और समावेशी शिक्षा प्रदान करें।

- धारा 2 (डी) "समावेशी शिक्षा " जिसमें ट्रांसजेंडर छात्र अन्य छात्रों के साथ मिलकर सीखते / पढ़ते हैं।

- नियम 10 (7) के तहत - संस्थानों और प्रतिष्ठानों का जेंडर संवेदीकरण और जागरूकता ।

- नियम 10 (8) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समिति होनी चाहिए।

- नियम 11 के तहत आवश्यक है कि उपयुक्त सरकार, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।

रैगिंग क्या है?

- आम बोल चाल के शब्द रैगिंग से तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी छात्र को शारीरिक अथवा मानसिक हानी या शर्मिंदगी हो ।

- जैसे किसी विद्यार्थी को चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना , सामूहिक हिंसा अथवा किसी विद्यार्थी से ऐसा कोई कार्य करने को कहना या जबरन पदार्थो व ड्रग्स सेवन की शुरुआत कराना जिसे वह सामान्य तौर में न करे।

- रैगिंग के कारण छात्रों पर विभिन्न दुष्प्रभाव पड़ते है, है, जैसे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट, यौन उत्पीड़न, मानवाधिकारों का हनन, कॉलेज छोड़ना , मृत्यु, आत्महत्या आदि ।

यू.जी.सी.एंटी-रैगिंग रेगुलेशन्स (2009)

- रैगिंग और दंडनीय अपराधों की परिभाषा में शारीरिक और मानसिक नुकसान दोनों शामिल हैं।
- समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी छात्र पर धमकाने सहित शारीरिक या मानसिक शोषण करना मना हैं।
- शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी रैगिंग सेल की स्थापना ।
- सबूत का भार अपराधी पर होता है।
- रैगिंग की सूचना मिलते ही एफ.आई.आर दर्ज की जानी चाहिए।
- डीन को वर्ष के अंत में सभी संबंधित प्रक्रियाओं पर अपडेट करने के लिए छात्रों को एक ईमेल भेजना आवश्यक हैं।
- संस्थानों द्वारा रैगिंग विरोधी नियमों का कड़ाई से पालन करना ।
- यूजीसी ऐसे संस्थान पर जुर्माना लगा सकता है जो इन नियमों का पालन नहीं करता हैं।

संस्था स्तर पर रैगिंग और रैगिंग में लिप्त पाए जाने वालों के लिए सजा में शामिल हैं:

- प्रवेश रद्द करना ।
- कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन।
- छात्रवृत्ति और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना ।
- किसी भी परीक्षा/मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से अयोग्यता ।
- परीक्षा परिणाम रोकना ।
- किसी भी मीट, इवेंट, टूर्नामेंट, फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व करने से अयोग्यता ।
- हॉस्टल से निलंबन/निष्कासन।
- संस्था से अधिकतम 4 सेमेस्टर तक निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन और परिणामस्वरूप अन्य संस्थानों में प्रवेश से अयोग्यता ।
- सामूहिक सजा अगर अपराध करने वाले/उकसा ने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान नहीं होती हैं।
- INR 25000/- का जुर्माना ।

स्कूलों में डराने-धमकाने और रैगिंग की रोकथाम के लिए सीबीएसई दिशानिर्देश

- डराने-धमकाने की परिभाषा में शारीरिक, मौखिक, साइबर बदमाशी शामिल है।

- स्कूलों में एक एंटी-बुलिंग कमेटी का गठन किया जा सकता है, जिसमें उप-प्रिंसिपल, एक वरिष्ठ शिक्षक, स्कूल डॉक्टर, पीटीए प्रतिनिधि, सहकर्मी शिक्षक आदि ।

- **स्कूल निम्नलिखित कारवाई कर सकती है :**
  (1) मौखिक/लिखित चेतावनी ।
  (2)स्कूल से एक निर्धारित समय के लिए निलंबन।
  (3) परिणामों को रोकना या रद्द करना ।
  (4) एक निर्धारित राशि तक जुर्माना लगाना ।
  (5) कुछ मामलों मे छात्रों को स्कूल से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- "अत्याचार" अधिनियम की धारा 3 में विस्तार से बताया गया है, लेकिन मोटे तौर पर किसी भी तरह की जबरदस्ती (व्यक्तियों को कोई काम करने के लिए मजबूर करना/ किसी पदार्थ का उपभोग करना),भेदभाव (स्थानों/ सुविधाओं/अवसरों तक पहुंच से इनकार करना), उत्पीड़न, हमला, और हिंसा।

Supporting Dalit Children

- भेदभाव से पीड़ित व्यक्ति अपने शैक्षिक संस्थान के भीतर प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं - और भेदभाव करने वाले व्यक्ति /व्यक्तियों को इसके बाद के परिणाम जैसे आंतरिक निलंबन/निष्कासन या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।

- हालांकि, अगर पीड़ित आवश्यक रूप से कानूनी कार्रवाई चाहते हैं-तो वे हमले के लिए एफ.आई.आर दर्ज करा सकते हैं (आईपीसी की धारा 351-नुकसान/हिंसा का खतरा)या (धारा 352 - वास्तविक नुकसान/हिंसा/यहां तक कि न्यूनतम अवांछित स्पर्श, अधिक नुकसान पहुंचा ने का इरादा।)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- स्कूलों को 'कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के लिए समानता को बढ़ावा देने' के लिए उचित उपाय करने होंगे।

- ऐसे कमजोर वर्ग या वंचित समूह से संबंधित किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में उक्त प्रावधान को 'वंचित समूह' को परिभाषित करने के योग्य बनाया गया है।

- 'वंचित समूह से संबंधित बच्चे' की परिभाषा में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करना ।

- आर.टी.ई अधिनियम शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर भी रोक लगाता है।

- आपकी राज्य सरकार द्वारा आर.टी.ई अधिनियम के तहत स्था़नीय शिकायत निवारण कमेटी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।

यह किताब कोयल घोष की मदद से बनी है
कोयल, सैफो फॉर इक्वालिटी के प्रबंधन ट्रस्टी हैं
हिन्दी में अनुवाद तेज़ीन डाडोन कनिका ने किया है